प्रमुख सचिव कार्यालय
विधान सभा सचिवालय
क्रम संख्या 2479
दिनांक 07/x/15

उत्तर प्रदेश शासन
संसदीय कार्य अनुभाग-1
संख्या-1096 /90-सं-1-2015-81-सं-2009
लखनऊ, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2015

सं० सभ (अधि०)

7/x/15
8

प्रमुख सचिव
विधान सभा, उ०प्र०

## अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की (छठा संशोधन) नियमावली, 2015**

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की (छठा संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी ।

(2) यह 25 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त होगी ।

2- उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की नियमावली, 1974 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया हैं, के नियम 6 में उपनियम (1) में :-

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (6-क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| **(6-क) शोध एवं संदर्भ अधिकारी**- खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा । | **(6-क) शोध एवं संदर्भ अधिकारी** - ऐसे स्थायी शोध एवं संदर्भ सहायकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो, जिसके अन्तर्गत अस्थायी या स्थानापन्न सेवा भी है, खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा । |

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (12) **उप पुस्तकाध्यक्ष** - खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा | (12) **उप पुस्तकालयाध्यक्ष** - खण्ड-(2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से स्थायी सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों में से पदोन्नति द्वारा । |

3- उक्त नियमावली में, नियम 10 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (10) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (10) **सूचीकार (कैटलागर)** - भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । | (10) **सूचीकार (कैटलागर)** - भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा । |

आज्ञा से,

( अब्दुल शाहिद )
प्रमुख सचिव ।